1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 69/2020

निर्णय दिनांकः 09.11.2020

जगूराम पुत्र किसना राम जाति जाट निवासी लखासर तहसील श्रीडूगरगढ जिला बीकानेर।

------प्रार्थी

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूगरगढ

------अप्रार्थी

उपस्थितिः–

1. श्री राजाराम नैण अभिभाषक वादी।
2. पैराकारराज स्टेट की तरफ से।

<u>प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956।</u>

यह प्रार्थना पत्र ~~श्रवण कुमार~~ जगूराम ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त का एक खेत खसरा नम्बर 679/249 तादादी 4.5800 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 681/253 तादादी 5.4400 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 683/377 तादादी 2.2900 हैक्टेयर रोही मोजा लखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। प्रार्थी को जब उपरोक्त खसरान की भुमि पर केसीसी बनाने हेतु हल्का पटवारी से सर्म्पक किया व जमाबन्दी की नकल दिनांक 19.08.2020 को निकलवाई तो प्रार्थी को जानकारी हुई की प्रार्थी के खातेदारी खसरा नम्बर 679/249 तादादी 4.5800 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 681/253 तादादी 5.4400 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 683/377 तादादी 2.2900 हैक्टेयर वाके रोही लखासर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत रूप से जगराम पुत्र किसना राम अंकित चला आ रहा है। जबकि प्रार्थी का नाम सही व वास्तविक नाम शुरू से ही जगूराम पुत्र किसना राम रहा है प्रार्थी के पिता की मृत्यु उपरान्त विरास्तन दर्ज इंतकाल में प्रार्थी का नाम जगराम अंकित कर दिया है। प्रार्थी अनपढ़ व कृर्षि पेशा व्यक्ति है प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित चले आ रहे अपने नाम की कभी कोई जानकारी नही रही है प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर ही उक्त जानकारी हुई है प्रार्थी के तमाम सरकारी दस्तावेज यथा राशनकार्ड, आधार कार्ड, पहचान–पत्र में प्रार्थी का नाम जगूराम अंकित चला आ रहा है सरपंच ग्राम पंचायत लखासर द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 03.09.2020 में भी प्रार्थी का नाम जगूराम अंकित है। यानि खसरा नम्बर 679/249 तादादी 4.5800 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 681/253 तादादी 5.4400 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 683/377 तादादी 2.2900 हैक्टेयर रोही ग्राम लखासर के राजस्व रिकार्ड को छोड़कर तमाम दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम जगूराम पुत्र किसना राम अंकित चला आ रहा है उपरोक्त सभी दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतिया अवलोकनार्थ श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। वादगत खेत खसरा नम्बर 679/249 तादादी 4.5800 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 681/253 तादादी 5.4400 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 683/377 तादादी 2.2900 हैक्टेयर पर कब्जा काश्त व उपयोग, उपभोग में चला आ रहा है प्रार्थी वादगत खसरा की भुमि के राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम जगूराम पुत्र किसना राम अंकित करवाने का कानूनन अधिकारी है। वादगत भुमि में प्रार्थी का गलत नाम जगराम अंकित होने के कारण प्रार्थी को वादगत खसरा भुमि पर केसीसी. बनाने टूबेल बनाने व अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

ण्ड अधिकारी
रगढ़(बीकानेर)

Scanned with CamScanner

वादगत खसरा भुमि में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित कर दिया गया है। इस बाबत प्रार्थी ने दिनांक 05.10.2020 को अप्रार्थी संख्या 1 से निवेदन किया कि मेरा नाम जगूराम है तो अप्रार्थी ने मेरा सही नाम करने से इन्कार कर दिया मेरा नाम विरास्तन इंतकाल दर्ज करते समय हल्का पटवारी को सही नाम बताने के बावजूद गलत रूप से जगराम अंकित कर दिया जिसे शुद्धिकरण कर मेरा सही नाम जगूराम अंकित कर देवें तो अप्रार्थी ने प्रार्थी को कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ बिना आदेश के राजस्व रिकार्ड में आपका नाम रिकार्ड में शुद्धिकरण करना सम्भव नहीं है इस प्रकार अप्रार्थी ने प्रार्थी का नाम की शुद्धिकरण करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। राजस्व रिकार्ड उक्त संशोधन होने से अप्रार्थी के हितों पर कोई विपरीत असर नहीं पडेगा जबकि इसके विपरीत सही नाम दर्ज नही होने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी।

1. यह है कि वादगत भुमि ग्राम लखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है इसलिए न्यायालय श्रीमान् को उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का पूर्ण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
2. यह है कि प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फीस व अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि:–

खेत खसरा नम्बर 679/249 तादादी 4.5800 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 681/253 तादादी 5.4400 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 683/377 तादादी 2.2900 हैक्टेयर वाके रोही लखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का गलत नाम जगराम अंकित हुआ है उसकी जगह जगू राम पुत्र किसना राम जाति जाट निवासी लखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण करने का आदेश अप्रार्थी को दिया जावे। और उसकी पालना अप्रार्थी से करवाई जावे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से पैरोकार राज ने जबाब पेश किया। यदि प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाता है तो हमे कोई आपति नही है। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। स्टेट को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई आपति नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

<u>आदेश</u>

खेत खसरा नम्बर 679/249 तादादी 4.5800 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 681/253 तादादी 5.4400 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 683/377 तादादी 2.2900 हैक्टेयर वाके रोही लखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का गलत नाम जगराम अंकित हुआ है उसकी जगह जगू राम पुत्र किसना राम नाम शुद्ध करने का आदेश तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ को दिये जाते है। तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ तदनुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्धि करें।

आदेश आज दिनांक 09.11.2020 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों। आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़